न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 7/प्रा.पत्र/2020 (GCMS No. 2020/00009)	19.02.2020	12.03.2024

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

1. कंवरया आ. गंगोल्या जाति मेघवाल, निवासी बिशनपुरा (मृतक जरिये कायम मुकाम) –

1/1 मोडूलाल आ. स्व. कंवरया मेघवाल नि. हरिजनों का मोहल्ला, निवासी ग्राम गुढानाथावतान, तहसील एवं जिला बून्दी

1/2 लादुराम आ. स्व. कंवरया मेघवाल नि. हरिजनों का मोहल्ला, निवासी ग्राम गुढानाथावतान, तहसील एवं जिला बून्दी

1/3 सीताबाई पत्नी स्व. कंवरया मेघवाल नि.हरिजनों का मोहल्ला, निवासी ग्राम गुढानाथावतान, तहसील एवं जिला बून्दी

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी कंवरया आ0 गंगोल्या जाति मेघवाल निवासी ग्राम बिशनपुरा को किये गये भूमि आवंटन में से खसरा संख्या 1676/2100 रकबा 5 बीघा वाकेग्राम गुढानाथावतान हाल बिशनपुरा आवंटन आदेश दिनांक 08.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के अनुसार कंवरया पुत्र गंगोल्या उक्त आराजी पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

A 6/2

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 7/2020 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No.2020/00009 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को जारी नोटिस के संबंध में अप्रार्थी के पुत्र मोडूलाल द्वारा दिनांक 31.03.21 को उपस्थित न्यायालय आकर अप्रार्थी की मृत्यु हो जाने की सूचना दी गई। तब अप्रार्थी के वारिसान की सूचना तहसीलदार बून्दी से तलब की जाकर कायम मुकामान को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से बहस पेरोकार सरकार सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1676/2100 रकबा 5 बीघा भूमि कंवरया आ. गंगोल्या जाति मेघवाल निवासी बिशनपुरा को दिनांक 08.11.1975 को आवंटन हुई थी। मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है तथा गैर खातेदार द्वारा भूमि की किश्त जमा नहीं की जा रही है। आवंटी या उसके वारिसान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जिससे जाहिर आया कि कंवरया पुत्र गंगोल्या जाति बलाई निवासी गुढानाथावतान को मिसल संख्या 555 पर दिनांक 08.11.1975 को भूमि खसरा सं. 1676 में से रकबा 5 बीघा वाकेग्राम गुढानाथावतान का आवंटन किया गया था। तहंसीलदार बून्दी द्वारा उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु प्रकरण नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत यहां भिजवाया गया है। प्रकरण में तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रेषित प्रपत्र में बिन्दू संख्या 4(1) आवंटी का कब्जा काश्त नहीं हैं, बिन्दू संख्या 4(2) आवंटी द्वारा भूमि की किश्त जमा नहीं की जा रही है, बिन्दू संख्या 4(3) आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही है, अंकित है। प्रकरण के संलग्न हल्का पटवारी गुढानाथावतान की रिपोर्ट में भी उक्त तथ्य अंकित है। अप्रार्थी सं. 1/1 दिनांक 31.03.21 को एवं अप्रार्थी सं. 1/2 दिनांक 28.02.22 को इस न्यायालय में उपस्थित हो चुके है किन्तु उनकी ओर से न तो कोई आपत्ति/जवाब दिया गया और न ही आगे इस कार्यवाही में भाग लिया गया। ऐसे में आवंटी के वारिसान की उक्त आवंटित भूमि में रूचि नहीं होना प्रथमदृष्टया प्रकट होता है। इस प्रकार आवंटी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना प्रमाणित होता है। आवंटी द्वारा आवंटन में रूचि नहीं लेने से कृषि प्रयोजनार्थ किया गया उक्त आवंटन निरर्थक हो जाता है, इस प्रकार उक्त भूमि आंवटन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होने से उक्त आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः उक्त आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बून्दी (राज.)

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी कंवरया आ. गंगोल्या जाति मेघवाल निवासी ग्राम गुढानाथावतान को मिसल संख्या 555 पर दिनांक 08.11.1975 को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 1676 रकबा 5 बीघा (नये खसरा नं. 1676/2100 रकबा 0.7690 हैक्टेयर) वाकेग्राम बिशनपुरा निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बून्दी उक्त आराजी को अविलम्ब नियमानुसार कब्जे सरकार लेकर **सिवायचक** दर्ज रेकार्ड करने की कार्यवाही करे। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद पूर्ति अभिलेखागार में भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 12.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी